Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रकरण सं0 110/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर।

प्रार्थी

बनाम

गर्ल्स स्कूल बींझबायला शिक्षा विभाग, तहसील पदमपुर

अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
उपस्थिति : अधिवक्ता श्री ऋषिराज ओझा

आदेश **दिनांक : 08.08.2017**

स्टेट की ओर से तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 29 एमएल की जमाबन्दी सम्वत् 2012 (सन् 1955–56) के अनुसार खसरा नम्बर 50 में 154 बीघा 9 बिस्वा गै.मु. जोहड पायतन दर्ज है। दिनांक 02.09.1975 ई.न. 12 द्वारा पु.आवटन 35 नया व पुराना 50 मी. के कि.न. 16/.152, 17–18/.506, 23–24/.506, 25/.241 कुल 1.405 हैक्टर रकबा गर्ल्स स्कूल बींझबायला के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुआ। उक्त वर्णित भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिराज ओझा उपस्थित आये । दिनांक 23.01.2017 को वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.06.1967 को तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने आदेश संख्या 3562 पारित कर गर्ल्स स्कूल बींझबायला के नाम से मुरब्बा नम्बर 35 खसरा नम्बर 50 (पुराना) के किला नम्बर 16 में 0.152 हैक्टर, किला नम्बर 17 व 18 प्रत्येक में 0.506 हैक्टर, 25 में 0.241 हैक्टयर कुल 1.405 हैक्टेयर मंजूर कर आदेश दर्ज करने के आदेश दिया ओर जिसे तहसीलदार पदमपुर के निर्देशानुसार पटवारी जीवनदेसर ने इंतकाल दर्ज किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित किसी भी प्रतिबंधित भूमि के सम्बन्ध में राज्य में किसी भाग में खातेदारी अधिकार धारा 16 (IX) के शिक्षण संस्थानों द्वारा कृषि में शिक्षण के लिए तथा खेल के मैदानों के लिए धारण अथवा प्राप्त भूमि के संबंध में उत्पन्न नहीं होते परन्तु कलक्टर के आदेश आवंटन संख्या 3562 के बाद यह भूमि उस प्रतिबंधित क्षेत्र में नही आती है क्योंकि उक्त वर्णित धारा 16 परन्तुक राज्य सरकार ,शासकीय राज पत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि जिन क्षेत्रो में बदल–बदल कर अथवा अस्थायी रूप से कृषि काश्त की जाती है। उक्त कृषि के लिए उपलब्ध नही होगी और तदुपरान्त उक्त भूमि खातेदारी भूमि खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के निमित उपलब्ध होगी इसी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि को शिक्षा विभाग को आवंटित की और अब यह खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते है। अतः स्पष्ट है कि यह भूमि शिक्षा विभाग को शिक्षण कार्य हेतु आवंटित की गई है इसलिए यह प्रतिबंधित क्षेत्र में नही आती, आवंटन वैद्य एवं उचित है। राजस्थान उच्च

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय ने अपने आदेशों में यह कहा है कि धारा 82 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत एक निश्चित समय में ही किया जा सकता है। अतः एक लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन को खारिज करने की मांग अवैध एवं अनुचित है क्योंकि यह समयवधि बीतने के पश्चात प्रस्तुत किया जा रहा है जो Barred by limitation है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं शिक्षा विभाग, गर्ल्स बींझबायला के पक्ष में आदेश पारित किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत रैफरेंस में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–11 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29–05–12 द्वारा भी **जोहड़ पायतन** की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी की ओर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अंकित किया कि प्रस्तुत जबाब को ही बहस माना जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट 30.01.2013 जमाबंदी चक 29 एमएल सम्वत 2012 (सन् 1955–56) ,के अनुसार खसरा संख्या 50 रकबा 154.09 बीघा **गैरमुमकिन पायतन दर्ज है** जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजों से होती है।

पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 30–1–13 के अनुसार चक 29 एम.एल का मु0 नं0 सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 77 अनुसार मुरब्बा नम्बर 35 (पुराना–50) के किला नम्बर 16/.152, 17–18/.506, 23–24/.506, 25/.241 कुल 1.405 हैक्टर **गैरमुमकिन पायतन** गर्ल्स स्कूल बींझबायला शिक्षा विभाग **गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं**। उक्त रकबा चक 29 एमएल ई.न. 12 दिनांक 02.09.1975 हुकमन से गर्ल्स स्कूल बींझबायला शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हुआ। उक्त वर्णित भूमि की किस्म **जोहड पायतन** दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित थी और आवंटन योग्य नही थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है।

अतः रेफरेन्स में वर्णित भूमि की किस्म **गैरमुमकिन पायतन** होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा **राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(146)राज–7/2011 जयपुर, दिनांक 26–06–12** में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–11, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

02–08–04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29–05–12 किया है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29–05–12 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गई है तथा जिनके **Water Flow** से उक्त जलाशयों में पानी पहुँचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दियेगये हैं, को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31–10–1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बॉध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं, के आलोक में आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, पदमपुर को प्रेषित हो। तहसीलदार निर्णय की पालना कर समुचित कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर